****

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,

****

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर आयोग के मैनुअल

(वित्तीय वर्ष 2024—25)

भागृ—1

मैनुअल संख्या—1 से 17 तक

****

कार्यालयः— अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

फोन न0— 0135—2781201

****

<u>अनुक्रमणिका</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1)(ख)

(मैनुअल 1–17 तक)

मैनुअल सं0	विषय	पृष्ठ
1	*संगठन की विशिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य*	3–33
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	34–41
3	विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	42–44
4	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक	45–54
5	अपने द्वारा, या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	55–65
6	ऐसे दस्तावेज जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो को विवरण	66
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सबन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	67
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देनें के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	68
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	69–70
10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित है।	71–72
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपनें प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	73–77
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	78
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	79
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	80
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिंया जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	81
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां	82
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय)	83

मैनुअल संख्या – 1

संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

उत्तराखण्ड सरकार राज्य के तेरह जनपदों में विभिन्न धर्मो और समुदायों के सामाजिक, भौक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सतत् प्रयत्न ीील है इसी क्रम में राज्य के अल्पसंख्यक वर्गो के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने दिनांक 19, जून, 2002 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गयी तथा उत्तराखण्ड अल्पसख्ंयक आयोग, नें 29 सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। आयोग का संगठनात्मक ढ़ाचा निम्नवत है।

1. आयोग का संगठनात्मक स्वरूप–स्वीकृत पदों की संख्या–11

क्र.स.	स्वीकृत पदमान	वेतनमान	पदों की संख्या
1	*सचिव*	*15600–39100*	*01*
2	*लेखाकार*	*9300–34800*	*01*
3	*वैयक्तिक सहायक(अध्यक्ष हेतु)*	*9300–34800*	*01*
4	*वरिष्ठ लिपिक*	*5200–20200*	*01*
5	*कम्प्यूटर आपरेटर*	*5200–20200*	*01*
6	*वाहन चालक(अध्यक्ष एवं सचिव हेतु)*	*5200–20200*	*02*
7	*चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी*	*4440–7440*	*04*
	योग		*11*

2. आयोग का संरचना – मा0 आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं नौ सदस्य है। वर्तमान में अध्यक्ष एवं एक पद उपाध्यक्ष का पद रिक्त है।

क्र.	महानुभावों व सदस्यों के नाम	भर्ती का स्रोत
1	श्री मज़हर नईम नवाब(उपाध्यक्ष) राज्य मंत्री स्तर ज्वाहर नगर,हल्द्वानी, नैनीताल। मो0न0– 9568501786	राज्य सरकार द्वारा नामित
2	श्री असगर अली(सदस्य) निवासी–ग्राम जैनपुर झंझेडी पो0–लंढौरा मंगलोर जनपद–हरिद्वार। मो0न0– 9927153595, 9410966711	राज्य सरकार द्वारा नामित
3	श्री राय वरी ा अहदम(सदस्य) निवासी– बडहेडी, राजपुतान पो0–भौरी,तह0–रूड़की बहादराबाद, हरिद्वार। मो0–9837214526, 9411140002	राज्य सरकार द्वारा नामित
4	श्री अब्दुल हफीज(सदस्य) निवासी– भाटकोट रोड़,वार्ड नं0 8	राज्य सरकार द्वारा नामित

	जिला– पिथौरागढ मो0न0– 9639199229	
5	श्री हेमन्त जोजफ(सदस्य) निवासी– मि ान कप्पाउण्ड कालीखोली पो0– द्वाराहाट अल्मोड़ा। मो0न0– 9412344506 9761593647	राज्य सरकार द्वारा नामित
6	श्रीमती सीमा जावेद(सदस्या) निवासी– चानचक रोड़, बंजारावाला देहरादून मो0न0– 7895648910	राज्य सरकार द्वारा नामित
7	श्री सन्तोख सिंह नागपाल(सदस्य) निवासी– 28/32, अन्सारी मार्ग, कालिका माता, मन्दिर के पास, देहरादून मो0न0–9412955285	राज्य सरकार द्वारा नामित
8	श्री गुलाम मुस्तफा(सदस्य) निवासी–ग्राम भांकरपुर पो0–रामपुरकलॉ वि0ख0–सहसपुर देहरादून। मो0न0–9410534786	राज्य सरकार द्वारा नामित
9	स0 परमिन्दर सिंह सदस्य निवासी– झबरावाला, बुल्लावाला, मारखमग्रान्ट डोईवाला, देहरादून। मो0न0– 9897119388	राज्य सरकार द्वारा नामित
10	मौ0 तस्लीम निवासी– उमरू खुर्द, इस्लाम नगर खटीमा ऊधमसिंहनगर। मो0न0– 7820064678	राज्य सरकार द्वारा नामित

आयोग के कृत्यः– राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति का उत्पीड़न होनें पर, वह निर्भीक होकर एक प्रार्थना पत्र मा0 आयोग के अध्यक्ष के नाम प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होनें पर आयोग अपनें स्तर से सर्वप्रथम विभागीय अधिकारी/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से जांच कराकर ि ाकायती वाद का निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाती है, साथ ही जांच आख्या से ि ाकायतकर्ता को अवगत कराया जाता हैं सहमत न होंने पर मा0 आयोग द्वारा स्वयं जांच की जाती है। आयोग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मा0 अध्यक्ष के अनुमोदनापरान्त सिफारि ा भाासन/सरकार को भेजी जाती हैं।

:– आयोग समस्त या निम्नलिखित कर्तव्य का पालन करेगाः–

(क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ख) संविधान और राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियम विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

ग) सरकार से अल्पसंख्यको के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारि ा करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायो से वंचित किये जानें के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ड) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विवाद पर अध्ययन शोध और विश्लेषण कर संचालन करना।

(ज) सरकार को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी विषय और विशेषकर उनके द्वारा अनुभव की जानें वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना और

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

2. सरकार को उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

शक्तियांः–

आयोग की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होगीं जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करनें की अपेक्षा करना।
(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।
(ड) साक्ष्यो और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना और
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

जो कोई धारा–9 उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निर्देश का पालन करनें के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश या निर्देश का अवज्ञा करेगा, यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या– 45 सन् 1860) की धारा 174,175,176,178,179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

क्रम संख्या–55

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई०

फाल्गुन 09, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 47/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 23–02–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2004 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं० 03, सन् 2004)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :–

शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :–

आयोग में प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में जहां–जहां शब्द "अध्यक्ष तथा सदस्य" आये हैं, वहां शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य" पढ़े जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) एवं (5) का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नवत् दो नई उपधाराएं (4) एवं (5) जोड़ दी जाएंगी :–

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,

मरोसी लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2004) for general information :

No. 47/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT No. 03 OF 2004)

To further amend The Uttaranchal Commission for Minorities Act, 2002

AN

ACT

BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :--

Short title, Extent & Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall [illegible] into force with immediate effect

2. Clause (c) of Section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :– *Amendment of clause (c) of Section 2 of the Principal Act*

The words "and Vice Chairman" shall be added after the word "Chairman".

3. Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act shall be substituted as follows :– *Substitution of Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act*

The Commission shall consist of a Chairman, a Vice Chairman and nine members nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman, provided that the Chairman, Vice Chairman and members shall be from amongst the minority communities.

4. Wherever the words "Chairman and Members" occur in Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act, shall be read as "Chairman, Vice Chairman and Members." *Amendment of Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act*

5. After Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act, two new Sub-sections (4) & (5) shall be added as follows :– *Addition of two new Sub-section (4) & (5) after Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act*

(4) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties, shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice Chairman.

(5) If the offices of both Chairman and Vice Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 20 विधायी/130–2004–500 (कम्प्यूटर/राजयो)।

क्रम संख्या–091

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

, विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई०
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
• विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003, पर 16–04–2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 09, सन् 2003)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में उत्तरांचल के परिपेक्ष्य मे अग्रेतर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 3 (2) का संशोधन

मूल अधिनियम, की धारा 3 (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :–

2. "आयोग में प्रतिष्ठित, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें एक महिला हो होंगे; परन्तु अध्यक्ष सहित चार सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Minority Commission (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2003) for general information:

No. 181/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governc April 16, 2003

THE UTTARANCHAL MINORITY COMMISSION (AMENDMENT) ACT 200
(UTTARANCHAL ACT No. 09 OF 2003)

AN
ACT

To further amend the Uttaranchal Minority Act, 2002 in it's applicatio Uttaranchal.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follow.

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Minority Commissio (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

Amendment of section 3 (2) of the Principal Act

In section 3(2) of the Minority Commission Act, 2002 (hereafter referre as the Principal Act) the following section shall be substituted namely.

2. The Commission shall consist of a Chairman and Four membe to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman; provided that the Chairman and other Four membe shall be from amongst the minority communities.

By Order,

BHAROSI L
Sach

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 विधायी/141–2003–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–067 (क)

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०एन०–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई०
ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002
(अधिनियम संख्या 09, सन् 2002)

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

3

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्प–संख्यक आयोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा.

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषायें:

2. इस अधिनियम मे जब तक की सन्दर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो:

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग से है.

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है.

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित है.

(घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है.

अध्याय–दो

आयोग

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का गठन

3 (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करनें के लिये सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा.

(2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक अध्यक्ष और दो सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित दो सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे.

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनें पद धारण करनें के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्यागपत्र दे सकता है.

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्तिः–

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है.

(ख) किसी अपराध के लिये जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हैं, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है.

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है.

(घ) कार्य करनें से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है.

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित होता है.

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की किसी स्थिति का किसी प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया है.

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति–युक्त अवसर न दें दिया गया हो.

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होगीं जैसी विहित की जायें.

5. (1) सरकार इस विधेयक के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये एक सचिव एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी. — आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाऐं.

6 अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा–5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा–10 की उपधारा(1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा. — वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी — रिक्तियों इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधि मान्य नही करेगी

8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझें, अपनी बैठक करेगा. — आयोग द्वारा प्रकिया विनियमित किया जाना

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रकिया विनियमित करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चिय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेगें.

अध्याय–तीन
आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात– — आयोग के कृत्य

(क) उत्तरांचल में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध मे विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

(झ) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना; और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय.

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना.

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय.

अध्याय : चार
वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

10. (1) सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी.

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायगा.

वार्षिक रिपोर्ट

11. (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय.

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा परीक्षा करायेगी.

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा.

13. सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उनसे दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी.

अध्याय पांच
प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा.

15. जो कोई धारा–9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश के निदेश की अवज्ञा करे तो यथास्थिति; भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा। — शास्ति

16. कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। — अपराध का संज्ञान:

17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है। — नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात

(क) धारा–4 की उपधारा–5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों और धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा–3 खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्य मामला।

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा।

(घ) प्रारूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन लेखों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(ड.) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो। — कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23(क) की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगें जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

19. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 एतद्द्वारा, जहां तक उत्तरांचल राज्य में लागू होने का प्रश्न है इस अधिनियम की धारा–1 की उपधारा–3 के अधीन प्रवृत्त अधिसूचना की तिथि से निरसन लिया जाता है। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 का निरसन

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the **Governor is pleased to order the publication of the following English** Translation of the Uttaranchal **Commission for Minorities Bill, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya** 09 of 2002) :

No. 219/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, June 19, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 16, 2002.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 2002

(Act No. 09 of 2002)

To constitute a Commission for minorities in Uttaranchal and to provide for matters connected therewith or incidental therein

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Third Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER-I
Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttranchal Commission for Minorities Act 2002. — Short title, extent and commencement
(2) It shall extend to the whole of Uttranchal.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, publish in this behalf.

2. In this Act unless a contrary intention appears from the context — Definitions
(a) "Commission" means the Uttranchal Commission for Minorities constituted under section3;
(b) "Government" means Government of Uttaranchal;
(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman of the Commission;
(d) "Minority" for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Government.

CHAPTER-II
THE COMMISSION

3. (1) The Government shall constitute a body to be known as the Uttaranchal Commission for minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act; — Constitution of the Uttaranchal Commission for Minorities

(2) The Commission shall consist of a Chairman and two Members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman;
Chairman shall be from amongst the minority Communities.

Term of office and conditions of service of Chairman and Members

4. (1) The Chairman and every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section(2) if that person:-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Courts;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission absents from three consecution meeting of the Commission or;

(f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman or Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

5.(1) The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of services of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grant

6. The salaries and allowances payable to the Chairman, Members and the administrative expenses, including salaries allowances and pension payable to the officers and other

employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub section(1) of section 10.

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Commission. Vacancies etc. not to invalidate proceeding of the Commission.

8.(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit. Procedure to be regulated

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER-III

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions namely:- Functions of the Commission

(a) evaluate the progress of the development of minorities in Uttaranchal;

(b) monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the Constitution and in laws enacted by the State Legislature;

(c) make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government;

(d) look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;

(e) cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;

(f) conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities;

(g) suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;

(h) make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and

(i) any other matter which may be referred to it by the Government.

(2) The Government shall cause the recommendations referred to in clause(c) of sub-section(1) to be laid before the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance if any, of such recommendations.

(3) The Commission shall, while performing any of the functions mentioned in clauses(a),(b) and(d) of sub-section(1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
(e) issuing Commissions or the examination of witnesses and documents; and,
(f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER-IV
Finance, Accounts and Audits

Grant by the Government

10. (1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf pay to the Commission by way of grants such sums of money as the government may think fit for being utilized for the purpose of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).

Accounts and audit

11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf.

(2) A copy of the annual statement of accounts and the balance sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

Annual Report

12. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

13. The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained there in and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received before the State Legislature. — Annual Report and audit report to be laid before State Legislature

CHAPTER-V

Miscellaneous

14. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860. — Chairman, Member and Staff of the Commission to be public servant.

15. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under sub-section(3) of section 9, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174,175,176,178,179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860(Act XLV of 1860) as the case may be. — Penalty

16. No Court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the Complaint in writing of the Chairman or a Member or of an Officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission. — Cognizance of Offences

17.(1) The Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act. — Power to make rules

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters namely

(a) Salaries and allowances payable is and the other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub-section(5) of section 4 and of officers and other employees under sub-section(2) of section5;

(b) any other matter under clause(f) of sub-section (3) of section 9;

(c) the form in while the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section(1) of section11;

(d) the form in and the time at which the annual report shall be prepared under section12;

(e) any other matter which is required to be; or may be prescribed.

14 86

Power to remove difficulties

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the Government may by a notified order make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section(1) shall be made after the expiration of the period of two years from the Commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section(1) shall be laid as soon as may be before the State Legislature and the provisions of sub-section(1) of section 23-A of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttarnchal Act.

Repeal of U.P. Act No 22 of 1994

19. The Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 is hereby repealed in Uttaranchal after the publication under sub section (3) of section 1 of notification of this Act.

By Order,

(R. P. PANDEY)
Sachiv.

अल्प संख्यक आयोग हेतु स्टाफ की आवश्यकता

पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
1. सचिव आयोग (श्रेणी 2 का पद)	1	8000—13500
2. लेखाकार	1	5000—8000
3. वैयक्तिक सहायक आयोग के अध्यक्ष के लिये	1	5000—8000
4. वरिष्ठ लिपिक	1	4000—6000
5. कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	3050—4590
6. चालक (एक चालक अध्यक्ष तथा एक चालक सचिव के लिए)	2	3050—4590
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मी (एक चपरासी अध्यक्ष के लिये एक चपरासी दो अन्य सदस्यों के लिये एक चपरासी सचिव के लिये तथा एक चपरासी कार्यालय के लिये)	4	2550—3200

नोट—सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था संविदा पर की जायेगी।

अल्प संख्यक आयोग के लिए वित्तीय आवश्यकता

(धनराशि लाख में)

1	अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों के लिए एक मुश्त मानदेय रू. 15000 प्रतिमाह की दर से	5.40
2	आयोग के सचिव के वेतन भत्तों के लिए 8000—13500 के वेतनमान पर श्रेणी 2 का पद	1.44
3	लेखाकार, वेतनमान 5000—8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
4	अध्यक्ष के लिये वैयक्तिक सहायक वेतनमान 5000—8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
5	वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 4000—6000 पर देय वेतन भत्ते	0.72
6	कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतनमान 3050—4590	0.56
7	चालक वेतनमान 3050—4590	1.12
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतनमान 2550—3200	1.836
9	एक कार अध्यक्ष के लिए तथा एक डीजल जीप सचिव के लिए	8.00
10	कार्यालय भवन का किराया रू.10000 प्रति माह की दर से	1.20
11	कम्प्यूटर एक	1.00
12	फोटोस्टेट मशीन एक	1.00
13	टेलिफोन एक	0.50
[illegible]	एक	0.20
[illegible]	[illegible]साज सज्जा	2.00
[illegible]	[illegible]न सामग्री एवं आकस्मिक व्यय	1.00
[illegible]	[illegible]	0.50
	योग:—	28.276

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Uttaranchal Commission for Minorities Bill, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2002)

No 219/ Vidhayee and Sansadiya Karya/ 2002
Dated Dehradun june 19, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 16, 2002

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 2002

(Act NO. 09 of 2002)

To constitute a Commission for minorities in Uttaranchal and to provide for matters connected therewith or incidental therein

ACT

It is Hereby enacted in the Fifty- third year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I
Preliminary

1- 1- This Act may be celled the Uttaranchal Commission for Minorities Act 2002. *Short title, extent and commencement*

2- It shall extend to the whole of Uttaranchal.

3- It shall come into force on such date as the Government may, by notification, bullish i ı the behalf.

2- In this Act unless a contrary intention Appears from the context. *Definitions*

a- "Commission" means the Uttaranchal Commission for Minorities constituted under section 3,

b- "Government" means Government of Uttaranchal.

c- "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman of the Commission.

d- "Minority" for the purposes of this Act, means a community notifies as such by the Government.

CHAPTER-II
THE COMMISSION

3- 1- The Government shall constitute a body to be known as the Uttaranchal Commission for minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it Under this Act; *Constitution of the Uttaranchal Commission for Minorities.*

2- The Commission shall consist of a Chairman and two Members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a women;
Chairman shall be from amongst the minority Communities.

4- 1- The Chairman and every Member shall hold Office for a term of three years from the date He assumes office.

Term of office conditions of Service of Chairman and Members.

2- The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time.

3- The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a member referred to in sub- section (2) if that person:-

a- becomes an undercharged insolvent;

b- is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude;

c- Becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Courts;

d- refuses to act or becomes incapable of action;

e- is, without obtaining leave of absence from the Commission absents from three consecution meeting of the Commission or;

f- has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman of Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest;

Provided that no person shall be removed under this Clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

4- A vacancy caused under sub- section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

5- The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

5- 1- The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the functions of the Commission. *Officers and other employees of the commission*

2- The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of services of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

6- The salaries and allowances payable to the Chairman, Members and the administrative expenses, including salaries allowances and pension payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sun section (1) pf section (1). *Salaries and allowances to be paid out of grant.*

7- No Act of proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Commission. *Vacancies etc. not to invalidate proceeding of the Commission*

8- 1- The Commission shall meet as and when Necessary at such time and place as the Chairman may thin fit. *Procedure to be regulated*

2- the Commission shall regulate its own procedure.

3- All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

CHAPTER-III
Functions of the Commission

9- 1- The Commission shall perform all or any of the following functions namely:- *Functions of the Commission*

a- evaluate the progress of the development of minorities in Uttaranchal;

b- monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the constitution and in laws enlaced by the State Legislature;

c- make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government.

d- look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;

e- cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;

f- conduct studies, research and analysis on the issues relation to socio-economic and educational development of minorities;

g- suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;

h- make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and

i- any other matter which may be referred to it by the Government;

2- The Government shall cause the recommendations referred to in clause (c) of sub-section (1) to be laid before the state Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations.

3- The Commission shall, while performing any of the functions mentioned in clauses (a) and (d) of sub-section (1) have all the powers of a civil court trying a suit. and in particular, in respect of the following matters, namely:-

a- Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

b- requiring the discovery and production of any document.

c- receiving evidence on affidavits;

d- requisitioning any public record or copy thereof from any office;

e- issuing Commissions or the examination of witnesses and documents; and

f- any other matter which may be prescribed.

CHAPTER-IV
Finance, Accounts and Audits

10- 1- The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf pay to the Commission by way of grants such sums of money as the government may think fit for being utilized for the purpose of this Act. *Grant by the Government*

2- The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub- section (1).

11- 1- The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf. *Accounts and audit.*

2- A copy of the annual statement of accounts and the Balance sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

12- The Commission shall prepare in such form and at such time, for each financial year as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous. financial year and forward a copy thereof to the State Government. *Ann ual Report*

13- The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained there in and the reason for the non- acceptance if any of such recommendations and the audit report to be laid as son as possible after the reports are received before the State Legislature. *Annual Report and audit report to be laid before State Legislature*

CHAPTER-V
Miscellaneous

14- The Chairman, and employees of the commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal code 1860- *Chairman, Members and Staff of the Commission to pu'lic servant.*

15- Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under sub- section (3) of section 9, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174,175,176,178,179, or 180, of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) as the case may be. *Pe alty.*

16- No Court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the Complaint in writing of the Chairman or a Member or of an officer of the Commission authorized in this behalf by the Commission. *Cognizance of Offences.*

17- 1- The Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act. *Power to Make rules.*

2- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters namely.

a- Salaries and allowances payable is and the other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub- suction (5) of section 4 and of officers and other employees under sub- section (2) of section 5;

b- any other matter under clause (1) of sub- section (3) of section 9;

c- the form in while the annual statement of accounts shall be maintained under sub- suction (1) of section 11

d- the form in and the time at which the annual report shall be prepared under section 12;

e- any other matter which is required to be; or may be prescribed.

18- 1- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the Government may be a notified order make such provisions not inconsistent with the provisions expedient for removing the difficulty. *Power to remove difficulties.*

2- No order under sub-section (1) shall be made after this expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

3- Every order made under sub- section (1) shall be laid as soon as may be before the State Legislature and the provisions of sub- section (1) of section 23-a of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttaranchal Act.

19- The Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 is herby repealed in Uttaranchal after the publication under sub section (3) of section 1 of notification of this Act. *Repeal of U.P. Act No of 1994*

By Order,

(R.P. PANDEY)
Sachiv,

कर्तव्य :-

आयोग की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होगीं जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करनें की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

जो कोई धारा–9 उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निर्देश का पालन करनें के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश या निर्देश का अवज्ञा करेगा, यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या– 45 सन् 1860) की धारा 174,175,176,178,179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

मैनुअल संख्या– 2

(अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य)
(Powers and duties of its officers and employess)

1. अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)

1. सचिवः– आयोग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होनें के कारण समस्त उत्तरदायित्व इस पद में निहित है। शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा कर्तव्य निम्नानुसार है।

अधिकारः–

क. **प्रशासनिक अधिकारः–**

1. आयोग में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनें पर कर्मचारी से सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।
2. अधीनस्थ कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि का अधिकार।
3. अवकाश वृद्धि स्वीकृत करनें का अधिकारः– यदि सरकारी कर्मचारी उस प्राधिकारी के नियन्त्रण में न रह गया हो जिसनें अवकाश स्वीकृत किया था तो इस अधिकार का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. आयोग के समस्त कार्यों का सम्पादन एवं मार्ग दर्शनः–
5. शासन के अपेक्षानुसार विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करनाः–
6. राज्य सरकार को सामाजिक, आर्थिक, विषयों पर सुझाव प्रदान करना।
7. कर्मचारियों के स्थायीकरण/वेतन निर्धारण/वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रकरणों का निस्तारण करना।
8. कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी विधि प्रकरणों का निस्तारण करना।
9. चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अधिनस्थ सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन तक का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना।
10. अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में आख्या प्रदान करना।
11. शासन द्वारा आंवटित अन्य कार्यों का सम्पादन करना।

ख. **वित्तीय अधिकारः–**

1. कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय करना।
2. कार्यालय प्रयोग के लिये राजकीय मुद्रण आदि का क्रय करना।
3. निर्धारित सीमा से जी0पी0एफ0 से स्थाई व अस्थाई धनराशि का निष्कासन तथा सेवानिवृत्त होनें वालें सरकारी कर्मचारी के जी0पी0एफ0 से 90 प्रतिशत धनराशि का निष्कासन की स्वीकृति।
4. निर्धारित सीमा तक अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान करना।

5. उत्कृष्ट कार्य करनें वाले कर्मचारियों का निर्धारित सीमा के अन्दर मानदेय प्रदान करने का अधिकार।
6. अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।
9. मृतक सरकारी कर्मचारी के वेतन/भत्तों आदि के दावों की वित्तीय नियम संग्रम खण्ड 5 भाग–1 के पैरा 99 में दी हुई शर्तों के अधीन भुगतान स्वीकृत कराना।
10. वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार निर्धारित सीमान्तर्गत अन्य समस्त देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।

ग– कर्तव्यः–

1. आयोग द्वारा सम्पादित समस्त कार्यों का मार्गदर्शन करना।
2. आयोग को प्राप्त शिकायतों का अध्यावधिक अध्ययन एवं उचित कार्यवाही करना।
3. आयोग द्वारा की गई सिफारिश को शासन/सरकार को प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
4. राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में शासन के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि आयोग द्वारा कार्यों का सम्पादन समय सारणी के अनुसार किया जाता है तथा गुणात्मक दृष्टि से उनका स्तर अच्छा रहता है।
6. विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक आंकडों के रख रखाव की समुचित तथा ऐसी व्यवस्था करना जिसे आवश्यकता पडनें पर सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके।
7. आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना।
8. आयोग की वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
9. आयोग में नियुक्त मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों की समस्याओं/सुझाव आदि को शासन/सरकार को अग्रसारित करना।
10. आयोग को प्राप्त शिकायती वादों पर मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण करना।

2– <u>अन्य कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य</u>

<u>लेखाकारः–</u>

मा0 आयोग में लेखाकार का एक पद सृजित है

1. अपनें अनुभाग प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगें।
2. समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा सौपें गये अन्य कार्य सम्पादित करना।
3. लेखा सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
4. आयोग में महानुभावों/अधिकारियो और कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के बिल तैयार करना

<u>वैयक्तिक सहायकः–</u> आयोग में अध्यक्ष के कार्यों हेतु **वैयक्तिक सहायक का 01 पद सृजित है।** इसके कर्तव्य और अधिकार अध्यक्ष आयोग के द्वारा निर्देशानुसार किये जायेगे।

बरिष्ठ लिपिकः–

1. अपनें अनुभाग प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगें।
2. स्थापना से सम्बन्धित कार्य
3. टकंण का कार्य करना।
4. जी0पी0एफ0 पासबुक का रख–रखाव।
5. समस्त शासनादेश/गार्ड फाईल/अभिलेख तथा पत्रावलियों एवं पंजिकाओं का रख रखाव।
6. कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं का रख–रखाव।
7 समय–समय पर उच्चतर अधिकारियों द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

कम्प्यूटर आपरेटर

1. टंकण का कार्य करना।
2. डाक सम्प्रेषण/डाक टिकटों का रख–रखाव सम्बन्धी कार्य।
3. समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा आंवटित अन्य कार्य।

वाहन चालक

1. गाडी/लोगबुक का रख रखाव।
2. गाडी की मरम्मत/सर्विसिंग सम्बन्धी कार्य।
3. समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा आंवटित अन्य कार्य।

चतुर्थ श्रेणी

1. स्थानीय डाक वितरण का कार्य।
2. कार्यालय खोलना/बन्द करना, तथा अपनी उपस्थिति में कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था करवाना।
3. कोषागार में देयकों को प्रस्तुत करना तथा प्राप्त करना।
4. कार्यालय में पत्रावलियों आदि को व्यवस्थित करनें परिचालन में समस्त कार्मिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
5. कार्यालय के पोस्ट आफिस सम्बन्धी जैसे रजिस्ट्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल आदि समस्त कार्य।
6. आयोग में आगन्तुकों के आनें पर उचित ढंग से व्यवस्था आदि करना।
7. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सौंपें गये अन्य समस्त सरकारी कार्य।

सम्पादित कार्य / कार्य आवंटन

(132)

फोन / फैक्स नं0– 0135–278
ईमेलआईडी–info@ukn

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक 368 / उअसंआ / 97–कार्य.विभाजन पत्रा / 2025–26 दिनांक 22 सितबर, 2023

"कार्यालय आदेश"

निदशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, के पदोन्नति आदेश सं0–513 / नि.अ.क. / 1242–पदोन्नति / ई–125692 / 2025–26 दिनांक 19.09.2025, के द्वारा कार्यालय जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून में कार्यरत श्री अनुप सिंह, कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर करते हुए उनकी तैनाती उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त वरिष्ठ सहायक के पद पर की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री अनूप सिंह द्वारा मा0 आयोग में वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 20.09.2025, के अपराह्न में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसके दृष्टिगत आयोग के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सं0–195 दिनांक 19.07.2021, को अतिक्रमित करते हुए मा0 आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न / क्रियान्वयन कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कार्यरत कार्मिकों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है:–

श्री अनूप सिंह, वरिष्ठ सहायक।

1. सी.एम.हैल्प लाईन एवं सी.एम.डैश बोर्ड।
2. अतिथि सत्कार से संबंधित कार्य।
3. निष्प्रोजय पंजिका का रख–रखाव।
4. आगुन्तकों के पंजिका का रख–रखाव।
5. डाक प्राप्ति से संबंधित समस्त कार्य।
6. प्रोटोकॉल संबंधी समस्त कार्य।
7. आयोग कार्यालय / कार्यालय परिसर की व्यवस्थाओं से संबंधित समस्त कार्य।
8. आयोग कार्यालय का प्रबन्धन संबंधी कार्य।
9. रिट याचिकाओं से संबंधित कार्य।
10. वीडिंग अभिलेख पंजिका का रख–रखाव।
11. विधानसभा प्रश्नों / मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं / मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित समस्त कार्य।

श्रीमती दीपा बर्त्वाल, लेखाकार।

1. लेखा सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
2. ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बिल तैयार करना।
3. कैश बुक, लेजर तैयार करना।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम / सेवा का अधिकार से सम्बन्धित कार्यों का रख–रखाव।
5. स्टोर / नज़ारत संबंधी समस्त कार्य।
6. भण्डार पंजिका का रख–रखाव।
7. जी0पी0 एफ पास बुक रख–रखाव।
8. सेवा पुस्तिका का रख–रखाव।
9. समस्त कार्मिकों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख–रखाव।
10. 18 दिसम्बर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस से संबंधित कार्य।
11. ऑडिट / सम्प्रेक्षा सबंधी कार्य।
12. शासकीय वाहनों के अनुरक्षण से संबधित कार्य।

श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक।

1. प्राप्त शिकायत / वादों को दर्ज करते हुए रख–रखाव करना।
2. आयोग की बैठकों / भ्रमण कार्यक्रम का कार्यवृत्त तैयार करना।
3. मा0 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्यगणों की व्यक्तिगत पत्रावली का रख–रखाव करना।
4. आयोग के महानुभाव / सदस्यगणों की व्यक्तिगत पत्रावली का रख–रखाव करना।

S/d/Ayog/ letter

(131)

5. वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट तैयार करना।
6. कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं का रख–रखाव।
7. विभागीय वेबसाइट से संबंधिक कार्य।
8. कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव।
9. कार्मिकों को देय अवकाश एवं अवकाश लेखा पंजिका का रख–रखाव।
10. आउटसोर्स कार्मिकों की उपस्थिति तैयार किये जाने संबंधी कार्य।
11. को–टर्मिनस कर्मचारियों से संबंधित कार्य।
12. दूरभाष से सूचना का आदान–प्रदान एवं वैयक्तिक सहायक के अन्य समस्त कार्य।
13. महानुभाव/सदस्यों का यात्रा बिल विवरण से संबंधित कार्य।

श्री प्रकाश सिंह दानू, कनिष्ठ सहायक।

1. डाक डिस्पेच संबंधी समस्त कार्य।
2. डाक सम्प्रेषणडाक टिकिटों का रख–रखाव सम्बन्धी कार्य।
3. गार्ड फाईल का रख–रखाव।

वाहन चालक।

1. गाड़ी लोकबुक का रख रखाव।
2. गाड़ी की मरम्मत सर्विसिंग सम्बन्धी कार्य।

अनुसेवक/सफाई कर्मी

1. स्थानीय डाक वितरण का कार्य।
2. डाक प्रेषण का समस्त कार्य।
3. कार्यालय समय पर खोलना बन्द करना, तथा अपनी उपस्थिति में कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था करवाना।
4. कोषागार में देयकों को प्रस्तुत करना तथा प्राप्त करना।
5. कार्यालय में पत्रावलियों आदि को व्यवस्थित करने परिचालन में समस्त कार्मिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
6. कार्यालय के पोस्ट ऑफिस सम्बन्धी जैसे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल आदि समस्त कार्य।
7. दूरभाष पंजिका का रख–रखाव।
8. आयोग में आगन्तुकों के आने पर उचित ढंग से व्यवस्था आदि करना।
9. आयोग कार्यालय के प्रत्येक कक्ष–कक्षों, परिसर, आदि की प्रतिदिन साफ–सफाई व्यवस्था
10. आयोग कार्यालय परिसर के आस–पास की सप्ताह में एक बार सफाई व्यवस्था।
11. आयोग कार्यालय में सप्ताह में एक बार दीमक ट्रीटमेन्ट संबंधी कार्य।

समस्त कार्मिक आवंटित कार्यों का चार्ज/पत्रावलियां एक सप्ताह के भीतर संबंधित से प्राप्त/हस्तगत करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 आयोग के कार्यों की गोपनीयता को बनाये रखते हुए आवंटित कार्यों तथा समय–समय पर दिये गये अन्य कार्यों को सुचारू रूप से एक–दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए सम्पादन करना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय समय में अनावश्यक रूप से किसी बाहरी कर्मचारी/व्यक्ति को न बैठायें।

ह0/–
(जे.एस.रावत)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

पृष्ठाकंन संख्या 368 दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 उपाध्यक्ष/मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. समस्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

S/d/Ayog/ letter

महानुभावों के कर्तव्य

1. अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़ित व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त होनें पर वादी/प्रतिवादी को आयोग में बुलाकर सुनवाई करना।
2. सुनवाई के उपरान्त लिये गये निर्णय को उचित कार्यवाही के लिये शासन / सरकार / जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को मामलें के निस्तारण हेतु सिफारिश करना।
3. अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक विकास हेतु प्रस्ताव शासन / सरकार को भेजना।
4. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
5. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों से उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षापायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
6. सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिये रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना।
7. अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जानें के सम्बन्ध में विर्निदिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारों के समक्ष उठाना।
8. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करना और उनके निस्तारण के उपायों की सिफारिश करना।
9. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।
10. कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।
11. सरकार को उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

संख्या– 1625/XVII (1)–01/2005–77 (स0क0)/2002

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग– 01 देहरादून, 06 दिसम्बर 2005

विषयः– समाज कल्याण विभागान्तर्गत गठित विभिन्न आयोगों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में दी गई व्यवस्था/प्राविधानों के अनुरूप उक्त वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा एवं सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण हेतु उत्तरांचल राज्य में भी उत्तरांचल राज्य में भी उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तरांचल अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का पृथक–पृथक गठन किया गया है।

2. यह भी अवगत कराना है कि उत्तरांचल अनुसूचिज जाति और जनजाति आयोग अधिनियम 2003 की धारा 12 उत्तरांचल अन्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 की धारा 10, एवं उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 9 में यह प्राविधानित है कि किसी बात का विचारण करनें में उक्त आयोगों को निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी।

(क) किसी व्यक्ति को बुलानें और उपस्थिति के लिए बाध्य करनें व जबरदस्ती उसकी परीक्षा करनें,
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जानें की अपेक्षा करने,
(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करनें
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसके प्रति की अपेक्षा करनें
(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करनें के लिए कमीशन जारी करनें और
(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के कम में आयोगों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करनें का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(राधा रतूड़ी)
सचिव,

कमशः.........2

संख्या– 1625(1) / XVII (1)–01 / 2005–77 (सा0का0) / 2002

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. सचिव माननीय मुख्यमन्त्री, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊ / गढवाल उत्तरांचल।
5. निबन्धक उच्च न्यायालय नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)

अपर सचिव।

मैनुअल संख्या –3

(विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है)

(Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

1. <u>निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने के प्रमुख बिन्दुओं की पहचान करना</u>

मा0 आयोग में प्राप्त शिकायती वादों के निस्तारण की प्रक्रियाः–

1– राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति के उत्पीड़न होने पर पीड़ित व्यक्ति मा0 आयोग में शिकायती पत्र प्रेषित करता है। मा0 आयोग स्तर से अग्रिम कार्यवाही हेतु शिकायती प्रकरण को जांच हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जाता है। सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त न होने पर मा0 आयेाग द्वारा उक्त शिकायती प्रकरण पर अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाता है। दो बार अनुस्मारक पत्र प्रेषित करने के पश्चात् भी यदि विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित प्रकरण पर मा0 आयोग द्वारा सुनवाई की जाती है। जिसमें दोनों पक्षों को तलब किया जाता है। तथा प्रकरण पर कार्यवाही की जाती है।

2– शिकायती प्रकरण जांच हेतु सम्बन्धित विभाग को भेजा जाता है। सम्बन्धित विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट वादी की सहमति/असहमति हेतु प्रेषित की जाती है। यदि उक्त जांच से वादी सन्तुष्ट नहीं है, तो मा0 आयोग द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को सम्मन कर प्रकरण पर सुनवाई की जाती है।

2– **अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार–** प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार मा0 आयोग को है।

3– **सम्बन्धित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि**

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2003 धारा 9 की उपधारा–2 में प्रदत्त शक्तियों तथा समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आयेाग निम्नलिखित विनियमावली विनियमित करते है।

आयोग की बैठक प्रत्येक त्रैमास में होगी जिसके लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व अवगत कराया जायेगा। यदि बैठक की निर्धारित तिथि में अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस में बैठक होगी। ऐसी बैठक के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आयोग की अन्य बैठक अध्यक्ष किसी भी दिन बुलाने के निर्देश दे सकते है। आयोग की बैठक बुलाने के लिए सदस्य के अनुरोध पर भी अध्यक्ष विचार करते हुए बैठक बुलाने के निर्देश दे सकते है। आयोग की ऐसी बैठक की कार्यसूची सचिव के हस्ताक्षर से सभी सदस्यों को प्राप्त करायी जायेगी। आयोग की बैठक की कार्यसूची वह होगी जो अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। आयोग की ऐसी बैठक की गणपूर्ति आयोग में तत्समय नियुक्त सदस्यों के 50 प्रतिशत से होगी। बैठक के लिए गणपूर्ति न होने पर ऐसी बैठक अन्य तिथि के लिए स्थगित कर दी जायेगी, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी। स्थगित की गयी बैठक के लिए दो

सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति का पूरा होना माना जायेगा। यदि किसी समय आयोग में केवल एक ही सदस्य नियुक्त है तो उस दशा में गणपूर्ति एक ही सदस्य की होगी।

आयोग की बैठक में निर्णय यदि सर्वसम्मति से नहीं होता है, तो, बहुमत के अनुसार निर्णय, जो, होगा वह आयोग का निर्णय माना जायेगा। यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, जो उनके सामान्य मत के अतिरिक्त होगा।

आयोग की बैठक आयोग के मुख्यालय, देहरादून में होगी, परन्तु आयोग की बैठक मुख्यालय से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती है। आयोग के सदस्यों के बीच कार्य का बटवारा अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। कार्य को निपटाने के लिए अध्यक्ष एक सदस्यीय/बहुसदस्यीय समिति का गठन कर सकते है। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा कार्य विभाजन में परिवर्तन या उपान्तर किया जा सकता है। ऐसी समिति, जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित न हों, की संस्तुति अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी और अध्यक्ष बड़ी पीठ को संदर्भित करेंगे और ऐसी पीठ द्वारा लिया गया निर्णय आयोग का निर्णय माना जायेगा।

मा0 आयोग उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2003 की धारा 9 में वर्णित कर्तव्यों व कृत्यों के अनुसार कार्यवाही करेगा–

(क) इसका दायित्व निर्वहन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस उत्तरदायित्व का निर्वहन (जांच, विश्लेषण रिपोर्ट की संरचना, आदि) आयोग की अधिकृत समिति के मार्गदर्शन के अधीन किया जायेगा। यदि इसमें संस्था विशेष के आकड़े, तथ्यों को एकत्रित करना भी सम्मिलित है तो ऐसा दायित्व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में निर्वहन किया जायेगा।

(ग) समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदुपरान्त आयोग अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा।

आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड क,ख, और घ में उल्लेखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियॉ होगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात–

क– किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

ख– किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

ग– शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

घ– किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

ड. साक्षयें और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और,

च– कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये।

यदि आयोग में किसी दिवस में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य अनुपस्थित रहते है तो उस तिथि हेतु निर्धारित मामलों को सचिव द्वारा सुना जायेगा, जिस पर विचार कर आवश्यकतानुसार उनके द्वारा सम्मन जारी किये जायेंगे अथवा अग्रिम निर्णय हेतु आयोग के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा।

अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सम्बन्धित बैठक में सलाह देने के लिए अध्यक्ष ऐसे एक या एक से अधिक सदस्यों को जैसा वह उचित समझे उसे नामित कर सकते है। ऐसे अधिकृत सदस्य/सदस्यगण बैठक की कार्यवाही एवं उसमें अपने द्वारा दी गयी सलाह की लिखित रिपोर्ट

अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगें। आयोग की ओर से ऐसी योजना/प्रक्रिया/ सम्बन्धित विषय पर यदि परामर्श भेजे जाने की आवश्यकता हो तो आयोग की बैठक में विचार विमर्श के बाद भेजा जायेगा।

अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी/संस्था से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करेगा और तथ्यात्मक सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसके मूल्यांकन हेतु विषयों को आयोग की बैठक में रखा जायेगा।

मैनुअल संख्या 4

(कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मानक):
(Norms set by it for the discharge of its functions)

यद्यपि मा0 आयोग में कोई भी मानक नहीं रखे गये है चूँकि जनता द्वारा जो शिकायती पत्र प्राप्त होते है उनका निस्तारण निम्न प्रक्रिया से किये जाते है।

(क) आयोग को प्राप्त शिकायतों का पंजीकरणः—

1. आयोग केवल और केवल लिखित शिकायतें स्वीकार करता है।
2. आयोग व्यक्तिगत शिकायतें धारण करता है।
3. शिकायते अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से दी जाती है।
4. आयोग को प्राप्त शिकायतों का विधिवत आयोग द्वारा शिकायत पंजिका में पंजीयन किया जाता है।

(ख) प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाहीः—

1. सामान्य प्रकार के उत्पीड़न के मामलों में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित विभाग आदि के माध्यम से जॉच करायी जाती है। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को सहमति/असहमति हेतु लिखित प्रत्यावेदन देनें हेतु अवगत कराया जाता है। असहमति की दशा में मा0 आयोग के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं जॉच/सुनवाई की जाती है।
2. सुनवाई में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को अपनें कथन अभिकथन तथा साक्ष्य प्रस्तुत करनें का अवसर प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

आयोग निम्नलिखित मामलों का संज्ञान नहीं लेगा।

1. जो अल्पसंख्यक वर्ग बनाम अल्पसंख्यक वर्ग से हों।
2. गैर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र जिनका सम्बन्ध अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीडन से न हों।
3. ऐसे प्रकरण जो मुख्यतः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हों या जिनका संज्ञान उक्त आयोग द्वारा ले लिया गया हो।
4. जो वाद किसी मा0 न्यायालय में विचाराधीन हो।
5. जो वाद प्रार्थना—पत्र देनें के तिथि से 5 वर्ष से अधिक पुरानें हो।
6. सेवा सम्बन्धी ऐसे मामलें जिनमें उपलब्ध विभागीय प्रतिकार न लिया गया हो।
7. ऐसे मामले जिनका आयोग द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका हों।

वर्ष 2024–25 में मा0 आयोग को प्राप्त शिकायती प्रकरण

क्र.स.	जनपद का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निस्तारित शिकायतों की संख्या	उन प्रकरणों की संख्या जिसमें कार्यवाही गतिमान है।
1	टिहरी	1	-	1
2	हरिद्वार	5	3	2
3	देहरादून	17	10	7
4	नैनीताल	11	6	5
5	अल्मोड़ा	1	-	1
6	ऊधमसिंह नगर	56	34	22
योग				

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विगत वर्षों में गतिमान शिकायती प्रकरणों का निस्तारण

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	शिकायती प्रकरणों का निस्तारण
1.	2018–19	01
2.	2019–20	02
3.	2020–21	04
4.	2021–22	02
5	2022–23	17
6	2023–24	64
योग		90

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त शिकायतों का विभागवार विवरणः–

विभाग का नाम	शिकायतों की संख्या	निस्तारित शिकायते	कार्यवाही गतिमान
पुलिस विभाग	25	13	12
शिक्षा विभाग	04	03	01
विद्युत विभाग	03	01	02
स्वास्थय विभाग	03	02	01
जिला–प्रशासन	12	09	3
लीड बैक	03	02	01
चिट्स एवं फर्म्स सोसाइटीज	01		01
जिला पूर्ति विभाग	02	02	-
एम.डी.डी.ए.	01	-	01
लोक निर्माण विभाग	01	01	-
आयकर विभाग	01	01	-
योग	56	34	22

वर्ष 2024—25 में मा0 आयोग द्वारा निस्तारित कतिपय शिकायती प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

- **श्रीमती गुडडी अंसारी, प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0, ओखलाढूंगा, कोटाबाग, नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः—** प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी के पुत्र जेरे इलाज चल रहा है। प्रार्थिनी द्वारा 14 वर्ष दुर्गम में सेवा दी जा चुकी है। प्रार्थिनी शिक्षा विभाग में कई आवेदन कर चुकी है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा अपने पुत्र का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराते हुए प्रमाण—पत्र निर्गत कर वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में ही स्थानान्तरण कराये जाने के साथ—साथ पुत्र की गम्भीर बीमारी के ईलाज के लिए वर्तमान में रा0प्रा0वि0, खताड़ी, रामनगर में सम्बद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में आयोग द्वारा तत्काल अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ/सुरक्षार्थ मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल को प्रार्थिनी की उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी के पुत्र का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराये जाने के साथ ही निदेशक, प्रा0शि0 विभाग, देहरादून को प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी के पुत्र की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत प्रमाण—पत्र को सहानुभूतिपूर्वक वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में सम्मिलित करते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही किये जाने तथा तब तक प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी के पुत्र की बीमारी के ईलाज हेतु प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी को रा0प्रा0वि0, खताड़ी, रामनगर में एक सप्ताह के अन्दर सम्बद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में शिक्षा विभाग द्वारा प्रार्थिनी की वर्तमान में आयु 55 वर्ष पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत शासनादेशानुसार स्थानान्तरण में छूट प्रदान करते हुए प्रार्थिनी को वर्तमान में सम्बद्ध विद्यालय में ही तैनात कर समस्या का समाधान किया जा चुका है।

- **श्रीमती भूपिन्दर कौर, पत्नी स्व0 श्री परमजीत सिंह, निवासी—नियर डिग्री कॉलेज, नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः—**शिकायतकर्ती द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी के पुत्र गगनदीप सिंह का विवाह हेमा जोशी उर्फ हरलीन कौर के साथ हुआ। विवाह उपरान्त दोनों को एक पुत्र भी है, किन्तु आपसी विवाद के कारण दोनों का विवाह मा0 परिवार न्यायालय, हल्द्वानी के आदेशानुसार विच्छेदित हो गया। मा0 न्यायालय द्वारा पुत्र को पिता गगनदीप को सौपा गया तथा हेमा जोशी उर्फ हरलीन कौर को अपने पुत्र से मिलने के आदेश भी दिये, जिसके चलते हेमा जोशी उर्फ हरलीन कौर मिलने के बयाने रात्रि में नशे की हालत में जबरदस्ती घर में घुसकर परिवारवालों के साथ अभद्र अपशब्दों का प्रयोग कर प्रार्थिनी के पौत्र को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगी, जिसकी सूचना रात्रि में ही प्रार्थिनी द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में दी गयी, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की पुत्र वधु की शिकायत पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र/पुत्री पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर धमकाया गया, जिससे प्रार्थिनी पुलिस के उक्त कृत्य से अत्यन्त श्रुब्ध है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ/सुरक्षार्थ प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को जांच कराते हुए नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही मा0 परिवार न्यायालय के आदेश के क्रम में विपक्षी हेमा जोशी को अपने बच्चे से मिलने हेतु सूचना देते हुए अन्य

स्थान/थाने में मिलाने की नियमानुसार गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

- **श्रीमती गुलनाज सैफी, स0अ0 रा0प्रा0वि0, जयपुर बीसा, विकासखण्ड–हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** शिकायतकर्ती द्वारा मा0 आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि प्रार्थिनी सहायक अध्यापिका के पद पर रा0प्रा0वि0 जयपुर बीसा, हल्द्वानी में कार्यरत है तथा अनिवार्य स्थानान्तरण 2024–25 में सुगम से दुर्गम में होने के आदेश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत धारा 09 सुगम से दुर्गम में बनाई गई रिक्त पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा जिले स्तर पर पोर्टल पर दर्शायी गयी थी, किन्तु काउन्सिंल की नियत तिथि को विभाग द्वारा रिक्त पदों की सूची और पोर्टल पर अपलोड सूची से भिन्न व अलग थी, प्रार्थिनी ने लगभग दो वर्ष पूर्व दो जुडवां बच्चों को जन्म दिया है, जो काफी छोटे है, जिन्हें मां की आवश्यकता है तथा प्रार्थिनी के घुटनों में गठिया की बीमारी है तथा जहां स्थानान्तरण किया गया है, वह काफी जंगल का पैदल रास्ता है, जहां कोई भी वाहन नहीं जा सकता है, जिस हेतु प्रार्थिनी के स्थानान्तरण को रोकते हुए पद रिक्त स्कूल डौलीखत्ता एवं स्यूडा आवंटित किये जाने हेतु न्याय की गुहार लगाई गयी है। जिसके क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, देहरादून को पत्र प्रेषित कर प्रार्थिनी के देयकों के भुगतान से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.09.2024, के द्वारा प्रार्थिनी की समस्या का समाधान करते हुए मा0 आयोग को आख्या उपलब्ध करायी गयी।

- **श्री फतेह आलिम, पुत्र श्री अली हसन, निवासी–जीवनगढ़ अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला–देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत जीवनगढ़ एक अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम पंचायत है। प्रार्थी की पत्नी कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, विकासनगर द्वारा माह ई, 2024 में खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर को एक शिकायती पत्र आर0टी0आई0 के अन्तर्गत ब्राइट एंजेल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, जीवनगढ़ में किये गये बाहरी पंचायतों के प्रवेशों को निरस्त कर जीवनगढ़ ग्राम पंचायत के बच्चों को प्रवेश के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु दिया गया था, जिस पर कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए गलत प्रवेशों पर कोई कार्यवाही करने से इन्कार किया गया है, जिससे जीवनगढ़ में निवासरत् अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब बच्चे उक्त योजना से लाभान्वित नहीं हो पाये है, जिस हेतु बाहरी बच्चों के प्रवेशों को निरस्त कर मो0 अरहम और जीवनगढ़ ग्राम के बच्चों को प्रवेश देने हेतु कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में मा0 आयोग स्तर से अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षोपाय/सुरक्षार्थ हेतु त्वरित कार्यवाही कर जांच कराते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को दिये गये। जिस पर मा0 आयोग को प्राप्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून के पत्र सं0–16140–41 दिनांक 10.10.2024, के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर को मो0 अरहान का प्रवेश आर.टी.ई. के अन्तर्गत उनके द्वारा आवेदन में चयनित विद्यालय ब्राइट एंजेल्स स्कूल में एक सप्ताह के अन्तर्गत करावते हुए आख्या मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया गया।

- **श्री अनिल कुमार जैन व श्री जे0डी0जैन, निवासी–24 पंचशीला पार्क चकराता रोड़, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि प्रार्थी के भवन को वर्ष 2017 में जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम को किराये के रूप में दिया था, उक्त भवन को निजी

प्रयोग के लिए प्रार्थी को आवश्यकता है, जिस हेतु प्रार्थी पिछले लगभग 2 वर्षों से उक्त भवन को खाली के करने का अनुरोध कर रहा है, किन्तु न तो भवन खाली कर रहे है तथा न ही किराया दे रहे है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अपने उक्त भवन को खाली कराये जाने के साथ–साथ बकाया किराये की धनराशि दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अवगत कराया गया कि दोनों पक्षों का आपसी सहमति के अनुसार आवासीय सम्पत्ति को विलम्बतः 10.08.2024 को निश्चित रूप से खाली कर उसका भौतिक कब्जा प्रथम पक्ष को सौप दिया जायेगा। अतः वर्तमान में शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान हो गया है। कि शिकायतकर्ती श्रीमती गुलशन, सहा0अ0 वर्तमान में रा0उ0प्रा0वि0 गौजाजाली, विकासखण्ड हल्द्वानी में तैनात है, जो यथावत् सेवानिवृत्त तक बनी रहेगी।

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not Italic, English (India)

- **श्री केसर अली, निवासी–संजय कालोनी, पंतनगर, जिला–ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी के पुत्र मोहम्मद फैजान का दाखिला वर्ष 2016–17 में शिक्षा का अधिकर अधिनियम के अन्तर्गत कैम्पस स्कूल, पंतनगर में किया गया था। कैम्पस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बी0सी0 पाठक तथा उपशिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थी के मुस्लिम कुंठा के कारण किसी न किसी बहाने से प्रार्थी के पुत्र को मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दिनांक 25.10.2019, को प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थी के पुत्र की पिटाई कर घर भेज दिया गया तथा प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार कर पुत्र को अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया, जिसका स्पष्ट उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया। प्रार्थी के पुत्र को शिक्षा से वंचित रखकर भविष्य खराब किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी के पुत्र का कक्षा–8 में प्रवेश दिये जाने के साथ–साथ प्रधानाचार्य के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा छात्र के भविष्य के दृष्टिगत छात्र की टी0सी0 में संशोधन करते हुए छात्र का राजकीय विद्यालय में कक्षा–8 में प्रवेश दिये जाने के साथ–साथ प्रकरण में जांच समिति का गठन करते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर एवं निदेशक, प्रा0शिक्षा विभाग, देहरादून को दिये गये, जिसके अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थी के पुत्र की टी0सी0 संशोधित कराते हुए पुत्र का विद्यालय में दाखिला करा दिया गया है, जिससे प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

- **श्री अनीस अहमद, पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी–वार्ड नं0–5 अमरूखुर्द, इस्लामनगर, डाकघर, खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी राशन कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.07.2024 को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय खटीमा गया था। कार्यालय में सेवारत लिपिक श्री परवीन से जानकारी चाहने पर उक्त लिपिक द्वारा प्रार्थी के साद बदसलूकी कर कार्यालय से बाहर जाने का कहा, प्राथी द्वारा कारण पूछे जाने पर उक्त लिपिक द्वारा अभद्र व्यवहार कर टीका–टिप्पणी की गयी, जिससे प्रार्थी अत्यन्त मानसिक रूप से परेशान है, जिस हेतु तत्काल गहनता से जांच कर उक्त लिपिक श्री परवीन के विरूद्ध उचित प्रभावी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा त्वरीत कार्यवाही कर जांच आख्या मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, खटीमा द्वारा अवगत

कराया गया कि संबंधित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रवीन सिंह देव को कारण बताओं नोटिस जारी कर तत्काल लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देशो के अनुपालन में संबंधित कार्मिक द्वारा उव दिन के घटना क्रम से अवगत कराते हुए विश्वास दिलाया कि भविष्य में स्वयं पर पूर्ण संयम रखते हुए किसी भी घटना की पुनर्रावृत्ति नहीं की जायेगी, इस हेतु कार्मिक को चेतावनी भी जारी की गयी है कि किसी भी दशा में कार्यालय स्तर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उचित सौहादपूर्ण व्यवहार का अनुपालन किया जाये, जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट है।

- **श्रीमती नाज़मा, पत्नी स्व0 श्री हबीब, निवासी–इन्द्रानगर, दुर्गा मंदिर के पास, छोटी रोड़, हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थिनी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की गरीब विधवा महिला है, जिसका राशन कार्ड संख्या CFY4026761 बना था। पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। घरों में झाडू बरतन व पोछा करके अपना बच्चों को पाल रही है। प्रार्थिनी की दयनीय स्थिति है तथा किराये पर रहती है। प्रार्थिनी को गरीबों को राशन फ्री योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रार्थिनी पढ़ी–लिखी गरीब महिला है। राशन कार्ड विभाग के अधिकारी प्रार्थिनी की सुनवाई नहीं कर रहे है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा गरीबी रेखा का सफेद राशन कार्ड बनाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगाई गयी है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ त्वरित कार्यवाही कर प्रार्थिनी की समस्या का समाधान किये जाने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में खाद्य रसद अधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ती श्रीमती नाज़मा के ऑनलाईन आवेदन के क्रम में कार्यवाही गतिमान है। एक सप्ताह के अन्दर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर राशन कार्ड जारी कर दिया जायेगा, जिससे शिकायतकर्ती के द्वारा संतुष्ट होते हुए मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

- **डॉ0 अनबरीन मलिक, बी.डी.एस. (डेन्टल), बी–117, आवास विकास किच्छा, जनपद–ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थिनी द्वारा कोविड–19 से हो रहे संक्रमण की रोकथाम हेतु मानव संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 16.06.2021 को साक्षात्कार समिति के द्वारा दिये गये इन्टरव्यू में अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 28.02.2022 तक सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, सितारगंज में सेवायें दी गयी थी, जिसका निर्धारित मासिक मानदेय रू0 40,000/–प्रतिमाह था। प्रार्थिनी को जनवरी, 2022 तक मानदेय मिला है, किन्तु फरवरी, 2022 का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा कई बार सूचित किया जा चुका है, किन्तु विभाग द्वारा आतिथि तक मानदेय नहीं दिया गया है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा मा0 आयोग से मानदेय दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ त्वरित कार्यवाही कर प्रार्थिनी की समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसके अनुपालन में कार्यवाही कर अवगत कराया गया कि संबंधित दन्त चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु निदेशक, वित्त, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून से बजट की मांग की गयी है अथवा कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत कोष के विभिन्न मानके मदों में अवशेष धनराशि के सापेक्ष दन्त शल्यकों के लम्बित मानदेय का भुगतान की अनुमति चाही गयी है, अनुमति प्राप्त होते ही प्रार्थिनी को माह फरवरी, 2022 का भुगतान करते हुए समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

- **श्री जसवन्त सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी–ग्राम झबरावाला, जनपद देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अवगत कराया गया कि प्रार्थी की भूमि खाता

खतौनी सं0–543 के भूमि खसरा नं0–2984/1 रकबा 0.024 है0 खसरा नं0–3001/1 रकबा 0.342 है0 कुल रकबा 0'348 है, फालगुजारी परत के अनुसार वसीयतकर्ता श्रीमती रतन कौर, पत्नी श्री पूरन सिंह के नाम खारिज कर वसीयतनामा श्री जसवन्त सिंह के नाम दर्ज है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी अपने उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी हेतु नायब तहसीलदार, देहरादून से सम्पर्क किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। प्रार्थी की उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने से प्रार्थी अयल्न्त परेशान व मानसिक यातनाओं से गुजर रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में कार्यवाही कर स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु मा0 आयोग से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयेाग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण में उपजिलाधिकारी, की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन करते हुए संबंधित प्रार्थना–पत्र पत्र जांच कराते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, देहरादून को दिये गये, जिसके अनुपालन में उपजिलधिकारी, डोईवाला द्वारा पत्र सं0–256 दिनांक 05.08.2024, मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जांच समिति का गठन करते हुए जांच समिति की जांच पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत है जांच में प्रार्थी के उक्त पत्रावली/प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में वाद गतिमान है, जिसमें सुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय पारित किये जाने हेतु अवगत कराया गया है तथा शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा, जिसके दृष्टिगत मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता की हर सम्भव सहायता प्रदान कर समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये।

- <u>**मोहम्मद सलीम, पुत्र श्री नथ्थू, निवासी–इन्द्रानगर बड़ी मस्जिद, थाना–बनभूलपुरा, हल्द्वानी–नैनीताल की शिकायती प्रकरण का विवरणः–**</u> प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 01 माह पूर्व बैंक ऑफ बडौदा शाखा गांधी स्कूल हल्द्वानी से हॉम लान के लिए सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का कैपिटल ट्रस्ट से रू0 73,969 की धनराशि का बिज़नेस लोन चल रहा है, जबकि प्रार्थी का ऐसा कोई लोन नहीं चल रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त ट्रस्ट के मैनेजर श्री राहुल से सम्पर्क कर लोन के बारे में जवाब चाहने पर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। प्रार्थी इस हेतु बैंक व पुलिस में सूचना देने पर कोई कार्यवाही नही की गयी है, जिससे प्रार्थी अत्यन्त परेशान व मानसिक अवसाद का शिकार हो रहा है, जिस हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल तथा लीड बैंक अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक, नैनीताल को संबंधि तमामले में अग्रेत्तर कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में लीड बैंक अधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि कैपिटल ट्रस्ट, शाखा देवलचौड़, हल्द्वानी एक फाइनेन्स कम्पनी है तथा उनसे संबंधित कोई भी सूचना उनके कार्यालय में नहीं रहती है, वह आर0बी0आई0 के अन्तर्गत पंजीकृत तो है, किन्तु लीड बैंक अधिकारी कार्यालय में ऐसी सोशल फाईनेन्स कम्पनियों की कोई सूचना नहीं है, जिससे उन पर कोई स्वामित्व स्थापित नहीं हो पाता है, इसके सम्बन्ध में मा0 आयोग स्तर से समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया कि वह अपने–अपने जनपद में कार्यशील सोशल फाईनेन्स कम्पनी/संस्थाओं को अपनी संस्था को जिला अग्रणी बैंक, कार्यालय में पंजीकृत कराये अथवा रिपोटिंग किये जाने हेतु निर्देशित करें। पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना–बनभूलपुरा में एफ. आई.आर. सं0–160/2024 धारा 420 भादवि0 बनाम कैपिटल ट्रस्ट बैंक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान कर मा0 आयोग को अवगत कराया गया।

* **श्री नवेद अहमद, पुत्र श्री इरशाद हुसैन, निवासी–जैन प्लॉट, वाणी विहार, अधोईवाला, रायपुर,देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सुनील कुमार से 210 गज जमीन का अनुबन्ध दिनांक 21.09.2022 को किया था, जिसमें मु0 4,00,00/– रूपये बतौर बयाना में रू0 2,00,000/– चैक द्वारा तथा रू0 2,00,000/–रूपये की धनराशि कैश दिया था और एक दूसरे प्लॉट में मु0 4,00,000/– रूपये बयाना चैक द्वारा दिनांक 09.08.2022 को दिया था तथा 4 माह का समय लिया गया था, लेकिन उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को उक्त दोनों में किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री न कर लगातार बहाने बनाता आ रहा है और अब उक्त व्यक्ति प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि ना मैं तुझे पैसे दूगां और न ही जमीन दूगां, तुझसे जो हो वो कर ले। प्रार्थी को अशब्द बोलते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता है। प्रार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है, जिस हेतु मा0 आयेाग से समस्या का समाधान कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही करते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस विभागी प्राप्त जांच आख्यानुसार पुलिस विभाग को दोनों पक्षों का पक्ष सुनते हुए शिकायकर्ता की समस्या का समाधान किये जाने अथवा एफ.आई.आर. दर्ज कर मा0 आयेाग को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

* **श्री युनुस पुत्र श्री युसुफ, निवासी–वार्ड नं0–04, आजादनगर, टनकपुर रोड़, हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति है तथा प्रार्थी व प्रार्थिनी की पत्नी का कोई सहारा नहीं है मात्र सरकार द्वारा पेन्शन से ही गुजारा चलता है। प्रार्थी द्वारा गरीबी रेखा का राशन कार्ड हेतु आवेदन किया था। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन विभाग द्वारा सफेद राशन कार्ड की जगह लाल राशन कार्ड हेतु आवेदन किया। विभाग के अधिकारी प्रार्थी की सुनवाई नहीं कर रहे है तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक से संबंधित होने के कारण भेदभाव किया जा रहा है, जिस हेतु मा0 आयेाग से न्याय की गुहार लगायी गयी है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा तत्काल प्रकरण में संज्ञान लेते हुए प्रार्थी की सफेद राशन कार्ड बनाये जाने संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट से मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल को दिये गये, जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होते हुए मा0 आयोग से प्रकरण में अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर शिकायतकर्ता के प्रार्थना–पत्र के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड की औपचारिकताएं पूरी कर बनाये जाने की कार्यवाही किये जाने का आश्वासन देते हुए प्रार्थी की समस्या का समाधान किये जाने का आश्वासन दिया गया।

* **श्री युसुफ, पुत्र श्री हनीफ, निवासी–ग्राम घोसीपुरा, थाना–पथरी, पो0 अम्बुवाला, हरिद्वार के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी का विद्युत कनैक्शन सं0–LK91451112314 जो कि मेरे पिता जी स्व0 श्री हनीफ, पुत्र श्री हैदर के नाम से था तथा मेरे पिताजी का इन्तेकाल दिनांक 15.08.2017 को हो गया था, तब से विद्युत कनैक्शन उन्हीं के नाम पर चला आ रहा है। दिनांक 20.05.2019, को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रार्थी का कनैक्शन काट दिया था एवं विभाग द्वारा ही उक्त कनैक्शन को प्रार्थी द्वारा बकाया राशि का कुल रू0 20,000/– धनराशि जमा कर दी गयी है, उसके उपरान्त विभाग द्वारा प्रार्थी पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया तथा विभाग द्वारा स्वयं प्रार्थी का कनैक्शन दिनांक 24.12.2023, को जोड़ दिया गया तथा वर्तमान में बार–बार प्रार्थी पर पूर्ण बिल जमा किये जाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त कनैक्शन को प्रार्थी के नाम करवाये जाने एवं बकाया राशि दिनांक 24.12. 2023, से आज तक का बिल प्रार्थी से जमा कराये जाने हेतु विभाग को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के

हितों के रक्षार्थ प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड लक्सर, हरिद्वार द्वारा को प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगतग विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक अधिरोपित धनराशि का पुनः नियमानुसार निर्धारण करते हुए final assistment की धनराशि को किस्तों के रूप में जमा करवाते हुए शिकायतकर्ता की हर सम्भव मदद कर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें।

<u>मैनुअल संख्या 5</u>

अपने द्वारा अपनें नियंत्रणाधीन धारित या अपनें कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिता और अभिलेख।

(Rules, regulations, instructions,manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions)

पद का नाम	प्रशासनिक कार्य	वित्तीय कार्य	अन्य
अध्यक्ष	–	–	मा0 आयेाग में उत्पीड़न सम्बन्धी प्रकरणों की सुनवाई करना, व पीड़ित को न्याय दिलाना
उपाध्यक्ष	–	–	मा0 अध्यक्ष जी को उपरोक्त कार्यो में सहयोग करना तथा अल्पसंख्यकों के हितार्थ सुझाव देना।
सदस्य	–	–	–––––तदैव–––
सचिव	प्रशासनिक सम्बन्धी कार्य	आयेाग के अधिष्ठान के अन्तर्गत सभी वित्तीय मदों का आहरण–वितरण का अधिकार है।	मा0 अध्यक्ष जी के निर्देशन में आयेाग से सम्बन्धित सभी कार्यो का निर्वहन
लेखाकार			लेखा सम्बन्धी कार्य
वैयक्तिक सहायक			मा0 अध्यक्ष जी/सचिव द्वारा आयेाग से सम्बन्धित उनके पटल से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन
वरिष्ठ सहायक			सचिव, द्वारा आवंटित किये गये कार्यो का सम्पादन
कनिष्ठ सहायक			तदैव

80

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्या : 2756/स0क0/2003-411(समाज कल्याण)/2002
देहरादून : दिनांक :07 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 9 सन् 2002) की धारा-2 की उपधारा (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल के मूल निवासी जैन समुदाय को उत्तरांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करते हैं।

सुदर्शन अग्रवाल
राज्यपाल

आज्ञा से,
(एस. के. मुट्टू)
सचिव।

संख्या : 2756(1)/स.क./2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या : 2756(2)/स.क./2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
7. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

12

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या :-158/14/1/9/XXI/2018
देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा **श्री मजहर नईम**, हल्द्वानी, नैनीताल को **उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग** में तात्कालिक प्रभाव से **उपाध्यक्ष** के पद पर नामित किया जाता है।

2. उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री मजहर नईम, उपाध्यक्ष को उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–30/14/1/XXI/2012–15 T.C दिनांक 11 जनवरी, 2019 में उल्लिखित **"राज्यमंत्री स्तर"** की सुविधायें अनुमन्य होंगी।

3. उक्त महानुभाव को उनके कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों एवं सेवावधि के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या :158(1)/14/1/9/XXI/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव–समस्त मा. मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण (स्वतंत्र प्रभार) उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित महानुभाव, द्वारा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या :- 150/14/1/9/XXI/2018
देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा निम्नलिखित महानुभावों को उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग में "सदस्य" के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नामित किया जाता है:-

1. श्री असगर अली — सदस्य
2. श्री राव काले खाँ — सदस्य
3. श्री अब्दुल हफीज — सदस्य
4. श्री हेमन्त जोजफ — सदस्य
5. सुश्री सीमा जावेद — सदस्य
6. श्री सन्तोष नागपाल — सदस्य
7. श्री गुलाम मुस्तफा — सदस्य

2. उक्त महानुभावों के कार्य दायित्वों एवं तत्सम्बन्धी पदों पर कार्यरत रहने की अवधि तक सुविधायें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या :150/(1)/14/1/9/XXI/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव-समस्त मा. मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण (स्वतंत्र प्रभार) उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित महानुभाव, द्वारा अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभ उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तरा शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही का कष्ट करें।
7. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ओमकार सिं
संयुक्त सचि

24/7/20

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्याः 892/XVII–B-1/2020/35–(स.क.)2002 टी.सी.IV

देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार श्री परमिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूमेल सिंह, निवासी ग्राम झबरावाला (बुल्लावाला), देहरादून को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य के रिक्त पद पर नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार नामित सरदार श्री परमिन्दर सिंह का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार पदभार ग्रहण की तिथि से 05 वर्ष का होगा।

(एल. फैनई)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 892 (1)/ XVII–B-1/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 892 (1)/ XVII–B-1/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित महानुभाव (द्वारा–सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून)।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर. के. तोमर)

संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्याः 62 /XVII–B-1/2022/35–(स.क.)2002 टी.सी.IV

देहरादून : दिनांक : 05 जनवरी, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो. तस्लीम, निवासी खटी ऊधमसिंहनगर को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य के रिक्त पद पर नामित किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार नामित श्री मो. तस्लीम का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा के अनुसार पदभार ग्रहण की तिथि से 05 वर्ष का होगा।

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 62 (1)/ XVII–B-1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उ अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 62 (1)/ XVII–B-1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित महानुभाव (द्वारा–सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून)।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक विधेयक 2002 तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, संशोधन विधेयक 2003 के क्रम में उतराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक स्वतंत्र निकाय है। उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत उपरोक्त पॉच धर्मावल्लियों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 2755 /स0क0/2003–411 (समाज कल्याण)/2002 दिनांक 07, अक्टूबर, 2003 के द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग की अधिसूचना सं0 131/XVII –3/2016 –07(29)/2015–दिनांक 24, फरवरी, 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध,जैन व पारसी समुदायों को भी उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। **अधिसूचित समुदायों को उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी /तहसीलदार के स्तर से निर्गत किया जाता है।**

उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम वर्ग की जनसंख्या अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 1991 की जनगणना के आंकडे एवं वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 1991 में उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या 70,58,347 थी तथा अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 9,03,557 थी जो कि कुल जनसंख्या का 12.80 प्रतिशत थी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या 84.89 लाख है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 12.77 लाख है। इस प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.04 प्रतिशत है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में श्रेणीवार जनसंख्या–

क्र.स.	अल्पसंख्यक वर्ग	जनसंख्या
1	मुस्लिम	6,87,440
2	क्रिि चयन	19,779
3	सिक्ख	1,75,795
4	बौद्ध	12,789
5	जैन	7,754
6	अन्य	2,275
	योग	9,03,557

कुल जनसंख्या का प्रतिशत 12.80 %

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में श्रेणीवार जनसंख्या–

क्र.स.	अल्पसंख्यक वर्ग	जनसंख्या
1	मुस्लिम	10.12
2	क्रिि चयन	0.27
3	सिक्ख	2.12
4	बौद्ध	0.13
5	जैन	0.09
6	अन्य	0.04
	योग	12.77

कुल जनसंख्या का प्रतिशत 15.04 %

उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यक समुदाय की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या

क्र.सं.	समुदाय	जनसंख्या	राज्य की कुल जनसंख्या का प्रति ात
1	मुस्लिम	14,06,285	13.95%
2	सिक्ख	2,36,340	2.34%
3	ईसाई	37,781	0.37%
4	बौद्ध	14,926	0.15%
5	परसी	—	—
6	जैन	9,183	0.09%
योग		17,05,055	16.90%

उतराखण्ड में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17,05,055 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 16.90 प्रतिशत है।

उत्तराखण्ड में जनपदवार समुदायवार जनसंख्या–2011

क्र.	जनपद	जनसंख्या	अल्पसंख्यक	कुल जन0 मुस्लिम	%मुस्लिम	कुल जन0 ईसाई	%ईसाई	कुल जन0 सिक्ख	%सिक्ख	कुल जन0 बोद्ध	%बौद्ध	कुल जन0 जैन	%जैन		प्रतिशत
1	हरिद्वार	1890422	673571	648119	34.284356	4878	0.25804	17364	0.91853	709	0.0375	2501	0.1323	35.6307	35.63
2	ऊधमसिंह नगर।	1648902	542342	372267	22.57666	6064	0.36776	162768	9.8713	505	0.0306	738	0.04476	32.8911	32.89
3	देहरादून।	1696694	268822	202057	11.908865	13416	0.79071	36454	2.14853	1177	0.0694	5117	0.30159	15.2191	15.84
4	नैनीताल।	954605	144178	120742	12.648373	5091	0.53331	17419	1.82473	570	0.0597	356	0.03729	15.1034	15.10
5	पौडी गढवाल।	687271	25981	22931	3.3365295	2161	0.31443	619	0.09007	58	0.0084	212	0.03085	3.78031	3.78
6	अल्मोडा।	622506	10135	7752	1.2452892	1895	0.30441	256	0.04112	201	0.0323	31	0.00498	1.6281	1.63
7	टिहरी गढवाल	618931	8433	7374	1.1914091	656	0.10599	290	0.04685	32	0.0052	91	0.0147	1.36413	1.36
8	चम्पावत।	259648	9951	8693	3.3479942	870	0.33507	336	0.12941	24	0.0092	28	0.01078	3.8325	3.83
9	पिथोरागढ़	483439	7874	6015	1.2442107	1401	0.28980	260	0.05378	185	0.0383	13	0.00269	1.62875	1.63
10	चमोली।	391605	5347	4395	1.1223044	428	0.10929	323	0.08248	190	0.0485	11	0.00281	1.36541	1.37
11	उत्तरकाशी।	330086	4711	3554	1.0766891	353	0.10694	167	0.05059	563	0.1706	74	0.02242	1.4272	1.43
12	बागेश्वर	259898	1992	1440	0.5540635	397	0.15275	46	0.0177	102	0.0392	7	0.00269	0.76645	0.77
13	रूद्रप्रयाग।	242285	1708	1486	0.6133273	171	0.07058	38	0.01568	9	0.0037	4	0.00165	0.70495	0.70
	TOTAL	**10086292**	**1705045**	**1406825**	**13.947891**	**37781**	**0.37458**	**236340**	**2.34318**	**4325**	**0.0429**	**9183**	**0.09104**	**16.7996**	**16.90**

<u>उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग की सांविधिक स्थिति</u>

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्य अल्पसंख्यक की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग, विधेयक 2002 तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग, संशोधन विधेयक 2003 उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9 सन् 2003 के द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग का गठन 27 मई, 2003 को उत्तराखण्ड राज्य में किया गया। वर्णित अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं 09 सदस्यगण नामित है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 05 वर्ष निर्धारित किया गया है। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग, 27 मई, 2003 को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया तथा अल्पंसख्यकों की श्रेणी में मुस्लिम, सिक्ख ईसाई बौद्ध तथा पारसी के साथ–2 शासनादेश संख्या –2756/स0क0/2003–411(स0क0) दिनांक 07 अक्टूबर 2003 के द्वारा जैन समुदाय को भी सम्मिलित किया गया है।

<u>अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार व संरक्षण</u>

धर्म– स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25

1 सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे अन्तःकरण उपबन्धो के अधीन रहते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अवधा रूप में मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

2– इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रूकावट न डालेगी जो –

अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्व किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो।

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म–संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गो और विभागो के लिए खोलती हो।

व्याख्या–1 कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा।

व्याख्या–2 खण्ड(2) के उपखण्ड(ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्व धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को भी निर्देश अन्तर्गत है तथा धर्म संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूल ही किया जायेगा।

अनुच्छेद 26

सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को–

धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

(क) धार्मिक और पूर्व प्रयोजनो के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का
(ख) अपने धार्मिक कार्यो सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करने का
(ग) जंगम और स्थावर सम्पति के अर्जन और स्वामित्व का तथा
(घ) ऐसी सम्पति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 27

कोई भी व्यक्ति ऐसे करो को देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हो।

किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करों के देने के बारे में स्वतंत्रता

(1) राज्य–निधि से पूरी तरह से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी।

(2) खण्ड(1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो किन्तु ऐसे धर्मस्व या न्याय के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक–उपासना में उपस्थित होनेके विशय में स्वतंत्रता

(3) राज्य के अभिज्ञात अथवा राज्य–निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा–संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा किसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने यदि वह अवस्यक हो तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनुच्छेद 29

अल्पसंख्यको के हितों का संरक्षण

(1) भारत के राज्य–क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नगरिकों के किसी विभाग को जिस की अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति हैं इसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य–निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा–संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा।

अनुच्छेद 30

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गो का अपनी

शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यको का अधिकार

रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा

(2) शिक्षा–संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरूद्व इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

<u>मैनुअल संख्या 6</u>

(ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों को विवरण)
(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, किश्चियन, बौद्व एवं जैन) के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती पत्र प्राप्त होनें पर सम्बन्धित विभाग/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से जांच कराना। जांच आख्या प्राप्त होनें पर शिकायती वाद के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना है।

1 आयोग के गठन की अधिसूचना जिसमें आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगणों की नियुक्ति एवं कार्यकाल सम्बन्धी विवरण प्रकाशित है जो कि जन सामान्य के लिये सुलभ है।

2 आयोग को प्राप्त शिकायतों की पत्रावलियां है, जो गोपनीय प्रवत्ति की न होने के कारण सर्व सुलभ है।

3 आयोग स्तर पर कोई भी गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

4 आयोग में नियुक्त **महानुभावों/अधिकारियों/कर्मचारियों** की व्यक्तिगत पत्रावलियां है।

5 डिस्पैच पंजिका/पत्र <u>प्राप्ति/प्रेषण</u> पंजिका

6 कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित पंजिका।

7 अन्य पत्रावलियॉ

मैनुअल संख्या –7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

(Particulars of any arrangement their exists for consultation with or representation by,the members of the public in relationsto the formulation of its policy or implementation there of)

आयोग के गठन हेतु जारी राज्य सरकार के राजपत्र में विहित व्यवस्था ही लागू है। जनता के सदस्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसलिये किसी व्यवस्था की विशिष्टियों के सम्बन्ध में जनता द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठता है। अतः उक्त धारा से सम्बन्धित सूचना शुन्य है।

मैनुअल संख्या – 8

(ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देनें के प्रयोजन के लिये गठन किया जाता है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी)

(A statement of the boards councils, committees and other other bodies consistion of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetion of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the, minutes of such meetings are accessible for public)

लागू नहीं है।

मैनुअल संख्या –9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(A directory of its officers and employees)

1– मा0 आयोग में नामित महानुभाव/सदस्य

क्र.	महानुभावों व सदस्यों के नाम	
1	श्री मज़हर नईम नवाब(उपाध्यक्ष) राज्य मंत्री स्तर ज्वाहर नगर,हल्द्वानी, नैनीताल। मो0न0– 9568501786	उपाध्यक्ष
2	श्री असगर अली(सदस्य) निवासी–ग्राम जैनपुर झंझेडी पो0–लंढौरा मंगलोर जनपद–हरिद्वार। मो0न0– 9927153595, 9410966711	सदस्य
3	श्री राय वरीश अहदम(सदस्य) निवासी– बडहेडी, राजपुतान पो0–भौरी,तह0–रूड़की बहादराबाद, हरिद्वार। मो0–9837214526, 9411140002	सदस्य
4	श्री अब्दुल हफीज(सदस्य) निवासी– भाटकोट रोड़,वार्ड नं0 8 जिला– पिथौरागढ मो0न0– 9639199229	सदस्य
5	श्री हेमन्त जोजफ(सदस्य) निवासी– मिशन कम्पाउण्ड कालीखोली पो0– द्वाराहाट अल्मोड़ा। मो0न0– 9412344506 9761593647	सदस्य
6	श्रीमती सीमा जावेद(सदस्या) निवासी– चानचक रोड़, बंजारावाला देहरादून मो0न0– 7895648910	सदस्य
7	श्री सन्तोख सिंह नागपाल(सदस्य) निवासी– 28/32, अन्सारी मार्ग, कालिका माता, मन्दिर के पास, देहरादून मो0न0–9412955285	सदस्य
8	श्री गुलाम मुस्तफा(सदस्य) निवासी–ग्राम भांकरपुर पो0–रामपुरकलॉ वि0ख0–सहसपुर देहरादून। मो0न0–9410534786	सदस्य
9	स0 परमिन्दर सिंह सदस्य निवासी– झबरावाला, बुल्लावाला, मारखमग्रान्ट डोईवाला, देहरादून। मो0न0– 9897119388	सदस्य
10	मौ0 तस्लीम निवासी– उमरू खुर्द, इस्लाम नगर खटीमा ऊधमसिंहनगर। मो0न0– 7820064678	सदस्य

2– मा0 आयोग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

क्र.स.	नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्री जे0एस0रावत	सचिव	
2	श्रीमती दीपा बर्त्वाल	लेखाकार	उपनल के माध्यम से
3	श्रीमती भामा प्रवीन	वैयक्तिक सहायक	उपनल के माध्यम से
4	श्री प्रका ा सिंह दानू	कनिश्ठ सहायक	
5	श्री धीरेन्द्र कुमार	वाहन चालक	उपनल के माध्यम से
6	श्री कमल सिह	अनुसेवक	
7	श्री प्रमोद सिंह पवार	अनुसेवक	उपनल के माध्यम से
8	श्री विक्रम सिंह	अनुसेवक	उपनल के माध्यम से
9	श्री अवनीश कुमार	चौकीदार / सफाईकर्मी	उपनल के माध्यम से

उत्तराखण्ड अल्पसख्ंयक आयोग में मा0 महानुभावों के निजी स्टाफ को–टर्मिनस के आधार पर नियुक्त कार्मिकों (महानुभावों के कार्यकाल की अवधि तक) का विवरण निम्नवत है।

क्र.स.	नाम	पदनाम
1	श्री कैफी अनीस	वैयक्तिक सहायक(मा0 उपाध्यक्ष)
2	श्री अभय जोशी	अनुसेवक(मा0 उपाध्यक्ष)
3	श्री रमनदीप सिह	वैयक्तिक सहायक(मा0 उपाध्यक्ष)
4	श्री विक्रम सिंह	अनुसेवक(मा0 उपाध्यक्ष)

मैनुअल संख्या – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।)

(Monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग में नियुक्त महानुभावें को देय मासिक परिलब्धियों माह मार्च 2009 के अनुसार का विवरण निम्नवत है।

क्र. स.	नाम	पदनाम	मानदेय/वेतन	आवास भत्ता	वाहन भत्ता	टेलीफोन भत्ता
1	स0 इकबाल सिंह	कार्यवाहक अध्यक्ष	40000.00	15000.00	40000.00	2000.00
2	श्री मज़हर नईम नवाब	उपाध्यक्ष	40000.00	15000.00	40000.00	2000.00
3	श्री असगर अली	सदस्य	6000.00	–	–	–
4	श्री वरीश	सदस्या	6000.00	–	–	–
5	श्री अब्दुल हफीज	सदस्य	6000.00	–	–	–
6	श्री हेमन्त जोजफ	सदस्य	6000.00	–	–	–
7	श्रीमती सीमा जावेद	सदस्य	6000.00	–	–	–
8	श्री सन्तोख सिंह नागपाल	सदस्य	6000.00	–	–	–
9	श्री गुलाम मुस्तफा	सदस्य	6000.00	–	–	–
10	स0 परमिन्दर सिंह	सदस्य	6000.00	–	–	–
11	मौ0 तस्लीम	सदस्य	6000.00	–	–	–

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक अयोग में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियें को देय मासिक परिलब्धियों (माह मार्च 2009 के अनुसार) का विवरण निम्नवत है।

क्र.स.	नाम	पदनाम	मूल वेतन
1	श्री जे0एस0रावत	सचिव	73200.00
2	श्री प्रकाश सिंह दानू	कनिश्ठ सहायक	25200.00
3	श्री कमल सिंह	अनुसेवक	32300.00

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के नाम एवं कुल देय मासिक परिलब्धियों का विवरण निम्नवत है।

क्र.स.	नाम	पदनाम	उपलब्ध बीजक के आधार पर
1	श्रीमती दीपा	लेखाकार	22270.18
2	श्रीमती भामा प्रवीन	वैयक्तिक सहायक	22956.93
3	श्री धीरेन्द्र कुमार	वाहन चालक	26945.20
4	अवनी I कुमार	चौकीदार / सफाईकर्मी	18899.89
5	श्री प्रमोद सिंह पवार	अनुसेवक	17842.17
6	श्री विक्रम सिंह	अनुसेवक	17842.17

उत्तराखण्ड अल्पसख्यंक आयोग में मा0 महानुभावों के निजी स्टाफ को–टर्मिनस के आधार पर नियुक्त कार्मिकों (महानुभावों के कार्यकाल की अवधि तक) का विवरण निम्नवत है।

क्र.स.	नाम	पदनाम	
1	श्री कैफी अनीस	वैयक्तिक सहायक(मा0 उपाध्यक्ष)	15000.00
2	श्री अभय जोशी	अनुसेवक(मा0 उपाध्यक्ष)	12000.00
3	श्री रमनदीप सिह	वैयक्तिक सहायक(मा0 उपाध्यक्ष)	15000.00
4	श्री विक्रम सिंह	अनुसेवक(मा0 उपाध्यक्ष)	12000.00

मैनुअल संख्या –11

(सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्ट की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपनें प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)

(Buget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को शासन द्वारा वर्ष 2024–25 में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आंवटित बजट एवं व्यय विवरण का ब्यौरा संलग्न है।

74932/2024

वित्तीय स्वीकृति

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।
25
15/04/2024

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 31 /नि.अ.क/बजट आवंटन/2023–24 दिनांक 15 अप्रैल, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में "अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत के वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 279/XVII-B-1/2024-01(17)/2021 दिनांक 09 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें **(छायाप्रति संलग्न)**, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में 'राजस्व पक्ष' की **"अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान"** योजनान्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में संलग्न सूची के अनुसार **₹ 116.89 लाख (₹ एक करोड सोलह लाख नवासी हजार मात्र)** की धनराशि जारी की गयी है। शासन स्तर से जारी धनराशि संलग्न बजट एलोटमेंट आई.डी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. शासन के वित्तीय स्वीकृति पत्र संख्या– 279/XVII-B-1/2024-01(17)/2021 दिनांक 09 अप्रैल, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेष संख्या–201358/06(150)2019/ XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. मानक मद 01–वेतन, 03–महगाई भत्ता, 06 अन्य भत्ते एवं 25–उपयोगिता बिलो का भुगतान मद में ग्लोबल बजटींग होने के मध्येनजर उक्त मदों में नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार, नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
6. मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक करते ए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को

024

समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत धनराशि की फंड पार्किंग किसी भी दशा में न की जाये तथा स्वीकृत धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण रूप से व्यय कर ली जायेगी।
9. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेष दिनांक 22.03.2024 द्वारा दिये गये निर्देषों सहित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक "2225 –अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–001–निदेशक तथा प्रशासन–04–अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 15-04-2024 11:51:23

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

Signed by Shiv Lal Shah
Date: 15-04-2024 13:00:22

(एस.एल.शाह)
वित्त अधिकारी।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

HOD-Director Minority Welfare(4132)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Secretary State Minority Commission(4131)

आवटन पत्र सख्या -

अनुदान सख्या-015 | आवटन आई डी-H24040150019

आवटन पत्र दिनाक-15-APR-2024

लेखा शीर्षक

2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसख्यको का कल्याण

04-अल्पसख्यको का कल्याण

001-निदेशन तथा प्रशासन

04-अल्प सख्यक आयोग का अधिष्ठान (2250008000400से स्थानातरित)

00--

Voted

2	2	2	5	0	4	0	0	1	0	4	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व मे जारी	वर्तमान मे जारी	अब तक का व्यय	योग
02-मजदूरी	0	1000000	0	1000000
04-यात्रा व्यय	0	25000	0	25000
07-मानदेय	0	4500000	0	4500000
08-पारिश्रमिक	0	1800000	0	1800000
20-लेखन सामग्री एव छपाई	0	100000	0	100000
21-कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	0	50000	0	50000
22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एव प्रकाशन पर व्यय	0	100000	0	100000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एव सॉफ्टवेयर एव अनुरक्षण	0	400000	0	400000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	0	350000	0	350000
29-गाडियो का सचालन अनुरक्षण एव ईंधन आदि की खरीद	0	300000	0	300000
30-आतिथ्य व्यय	0	20000	0	20000
40-मशीन उपकरण सज्जा एव सयत्र	0	25000	0	25000
योग	0	8770000	0	8770000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.87,70,000 (Rupees Eighty Seven Lacs Seventy Thousand Only)

Batch ID : DIS:4132:4132:2404:0006

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

IFMS Uttarakhand

Print Date -28/Mar/2025 12:23 PM

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Jagdish Singh Rawat
Reason: DDO E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 28-03-2025 12:23:59

HOD Name-Director Minority Welfare(4132)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-(Director Minority Welfare)(D12004131)

आवंटन पत्र संख्या - 22
अनुदान संख्या - 015
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - DS25030150238
आवंटन पत्र दिनांक - 27-MAR-2025

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण
04 अल्पसंख्यकों का कल्याण
001 निदेशन तथा प्रशासन
04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान
00 -

2	2	2	5	0	4	0	0	1	0	4	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	योग
1	02-मजदूरी	950000	-782810	167190
2	04-यात्रा व्यय	25000	-25000	0
3	07-मानदेय	2323644	-1450500	873144
4	08-पारिश्रमिक	1800000	-188738	1611262
5	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	100000	-18990	81010
6	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50000	-100	49900
7	22-कार्यालय व यय	100000	-139	99861
8	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	100000	-75161	24839
9	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	200000	-83300	116700
10	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	350000	-26960	323040
11	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	300000	-154196	145804
12	30-आतिथ्य व यय	20000	-20000	0
13	40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	25000	-25000	0
	योग	6343644	-2850894	3492750

Total Current Surrender by HOD In Above Schemes - Rs. 28,50,894 (Rupees Twenty Eight Lacs Fifty Thousand Eight Hundred Ninety Four Only)

Batch ID : SUR:1200:4131:2503:0001

Approval Status : e-Sign letter

मैनुअल संख्या –12

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)

(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programes)

ऐसा कोई कार्यक्रम लागू नहीं है जिसमें आवंटन प्राप्त और व्यय किया जाता हो। अतः उक्त धारा के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

मैनुअल संख्या –13

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां)

(particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it)

———————————————————————————————

उक्त धारा का उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

मैनुअल संख्या –14

(किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो)

(Details in respect of the information, available to or held by it's reduced in and electronic from)

आयोग सम्बन्धी समस्त विवरण इन्टरनेट पर आयोग की बेवसाइट www.ukmc.in पर उपलब्ध है।

मैनुअल संख्या –15

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिंया जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मिलित है)

(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

1- सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।

2- कार्यालय में सूचना का अधिकार सम्बन्धी सूचना पट्ट लगाया गया है।

3- सूचना किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

4- सूचना प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

मैनुअल संख्या –16

(लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टंया)

(Names, designation and other particulars of the public information officers)

<u>विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम–</u>

श्री हीरा सिंह बसेड़ा
अपीलीय अधिकारी/उपनिदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण भवन
शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला देहरादून।
फोन नं0–0135–2780122

<u>लोक सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम</u>

श्री जे0एस0रावत
लोक सूचना अधिकारी/सचिव
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
मो0न0–9412119278

मैनुअल संख्या –17

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय)

(Any other information to be included)

भारत सरकार और राज्य सरकार से अल्पसंख्यक कल्याण के लिये प्राप्त सूचनाओं को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के लिये विहित किया जाता है तथा अन्य सूचनायें मैनुअल 01 से 16 में निहित है।